भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3513

उत्तर देने की तारीख : 24.03.2022

एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन

3513. श्री प्रताप सिम्हा:

श्री एस. मुनिस्वामी:

श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा:

श्री तेजस्वी सूर्या:

श्री बी. वाई. राघवेन्द्र:

डॉ. उमेश जी. जाधव:

श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) **:** पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सूक्ष्म से लघु, लघु से मध्यम और मध्यम से बड़े उद्यम में विकसित एमएसएमई का वर्ष-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) : क्या सरकार एमएसएमई को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में विकसित करने में सहायता के लिए कोई प्रोत्साहन प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) **:** क्या सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत प्रदान की गई सहायता से एमएसएमई को विकसित होने या नए एनपीए मानकों को पूरा करने के लिए कार्यात्मक रहने में मदद मिली है; और

(घ) : यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न योजनाओं विशेष रूप से क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत इस संबंध में कितनी सफलता हासिल की गई है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने दिनांक 26 जून, 2020 को अपनी राजपत्रित अधिसूचना का.आ. 2119 (अ) के तहत एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन कर लिया था। इसके पश्चात एमएसएमई के पंजीकरण के लिए दिनांक 1 जुलाई, 2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल शुरू किया गया था। उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अनुसार ऐसे एमएसएमई जो अपने शुरूआती समय से 22 मार्च, 2022 तक सूक्ष्म से विकसित होकर लघु और लघु से विकसित होकर मध्यम श्रेणी में पहुंच चुके हैं, का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

सूक्ष्म से लघु	लघु से मध्यम
28,684	3,679

(ख): एमएसएमई का विस्तार करने के लिए सरकार ने आत्म-निर्भर भारत कोष की घोषणा की है जिसका उद्देश्य एमएसएमई के विकास के लिए इक्विटी अथवा अर्ध-इक्विटी के रूप में वृद्धिकारी पूंजी के अनुरूप एमएसएमई के लिए निधियों को व्यवस्थित करना है।

(ग) और (घ): सरकार ने कार्यशील बने रहने में एमएसएमई की सहायता करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत अधीनस्थ ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएसडी) की घोषणा की थी। इस स्कीम का उद्देश्य दबाबग्रस्त एमएसएमई अर्थात विशेष उल्लेख खाते-2 (एसएमए-2) तथा एनपीए खाते, जो ऋणप्रदाता संस्थानों की बहियों पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार पुनर्संरचना के लिए पात्र हैं, के प्रवत्तकों को ऋणप्रदाता संस्थानों के माध्यम से क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराना है।

प्रमुख स्कीमों विशेषकर गारंटीड आकस्मिक क्रेडिट लाइन (जीईसीएल)/ आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) और अधीनस्थ ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएसडी) में प्राप्त की गई सफलता का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

i. वर्ष 2020 में शुरूआत से लेकर दिनांक 28 फरवरी, 2022 तक 1.12 करोड़ एमएसएमई को जीईसीएल/ईसीएलजीएस के अंतर्गत 2.11 लाख करोड़ रुपए की राशि वाले 100% गारंटीकृत कोलेट्रल मुक्त ऋण प्रदान किए गए हैं।

ii. वर्ष 2020 में शुरूआत से लेकर दिनांक 2 मार्च, 20202 तक दबाबग्रस्त एमएसएमई के लिए सीजीएसएसडी के अंतर्गत 84.40 करोड़ रुपए की राशि वाली 765 गारंटियों को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

****